



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना- सिंघावली अहीर

दिनाँक -08.03.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0-80/26 धारा -  
140(4)/351(3) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को  
किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0- 80/26 धारा - 140(4)/351(3) बीएनएस व धारा- 3/4(2) पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

नीतीश पुत्र सुनील निवासी ग्राम लुहारा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह यादव थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 शीलेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 546 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 08.03.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,  
जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 154/2026 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूरज पुत्र सत्यवीर निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 463 पवन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 421 अंकुल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 08.03.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 63/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ विद्युत तार लम्बाई करीब 72 मीटर तथा घटना में प्रयुक्त एक प्लास व वाहन विककी TVS बिना नंबर प्लेट बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.03.2026 को थाना बिनौली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक चोर आरिफपुर खेडी गाँव के बाहर बडावद जाने वाले रास्ते पर जंगल में पानी की टंकी के पास सोलर प्लॉट में चोरी करते हुए चोरी किए हुए सामान के साथ पकड़ लिया हैं। उक्त सूचना पर थाना बिनौली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा अभियुक्त को चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 63/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 63/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ विद्युत

तार लम्बाई करीब 72 मीटर तथा घटना में प्रयुक्त एक प्लास व वाहन विककी TVS बिना नंबर प्लेट बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

सचिन पुत्र घसीटू निवासी काशीराम कॉलोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-का0 892 तेजवीर थाना बिनौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक- 18.01.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 067/2026 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ एक भैंसा (कटरा) बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.03.2026 को थाना खेकड़ा पर वादी इकराम पुत्र इस्लामु निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसका भैंसा चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 67/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 67/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक भैंसा बरामद हुआ है ।

**नोट-** उक्त अभियोग में बरामदगी व प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1. अली पुत्र अनवार निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
2. अतर पुत्र हकीकत निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
3. भूरा उर्फ सलीम पुत्र नन्हे निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
4. शाहरुख पुत्र जब्बार निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

**बरामदगी का विवरण-**

- एक भैंसा (कटरा)

**अभियुक्त अली का अपराधिक इतिहास**

मु0अ0सं0 345/24 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 श्री राहुल यादव थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-है0का0 115 वीरपाल सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-है0का0 847 राकेश थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 4-का0 997 सोनू यादव थाना खेकड़ा जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 08.03.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 36/2026 धारा 109(1) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

07.03.2026 को वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. रितिक पुत्र बिजेन्द्र, 2. विजिल पुत्र सन्जीव निवासीगण ग्राम बराल थाना रमाला जनपद बागपत के द्वारा उसके पुत्र वरुण उर्फ गोलू पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 36/26 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही -

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 36/26 धारा 109(1) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विजिल पुत्र सन्जीव निवासी मौहल्ला आजादनगर एलम थाना कांधला जनपद शामली हाल पता ग्राम बराल थाना रमाला जनपद बागपत ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्वादे थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 164 विकास नागर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-हो0गा0 572 प्रवेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 08.03.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 45 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 45 पच्चे अवैध देशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पूनम सिंह उर्फ पप्पू पुत्र बलजोर निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण-

- 45 पच्चे अवैध देशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-का0 72 प्रदीप कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

